न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख फाईनल निर्णय
5/12	दावा	29.06.12	08.05.18

1. कैलाश पुत्र फैलू जाति बैरवा निवासी जोड़ी (गज्जूपुरा) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. चिरंजी पुत्र मंगल (फौत)
   1/1 प्रहलाद पुत्र चिरंजी (फौत)
   1/1/1 ज्योति। पुत्रियां प्रहलाद ।नाबालिग संरक्षिका माँ खुद कौशल्या बेवा प्रहलाद
   1/1/2 सपना। ।
   1/1/3 आशीष पुत्र प्रहलाद ।
   1/1/4 कौशल्या बेवा प्रहलाद सभी जाति बैरवा निवासी जोड़ी
   1/2 कल्लो पत्नि भरोरी पुत्री चिरंजी । जाति बैरवा निवासी जोड़ी
   1/3 कविता पत्नि बनैसिह पुत्री चिरंजी।
   1/4 मौसम । पुत्रीयान चिरंजी नाबा0 संरक्षिका माँ खुद बादामी बेवा चिरंजी
   1/5 इमरती ।
   1/6 बादामी बेवा चिरंजी जाति बैरवा निवासी जोड़ी
2. रामजीलाल । पि0 मंगल जाति बैरवा निवासी जोड़ी
3. रामकिशन ।
4. घनश्याम ।
5. जगदीश ।
6. कमला पत्नि कन्हैया पुत्री मंगल बैरवा । निवासी किशन की झोंपड़ी (कुनकटा) तहसील
7. मिथलेश पत्नि हेमराज पुत्री मंगल बैरवा। गंगापुर सिटी
8. हुकमबाई पत्नि रामस्वरूप पुत्री मंगल जाति बैरवा निवासी सैगरदा तहसील सपोटरा
9. किलाण पुत्र फैलू जाति बैरवा निवासी जोड़ी तहसील सपोटरा।
10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राज0।

--प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2018 मे पेश हुई। करण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में वाद तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम ोड़ी तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे गश्त की आराजी का बंटवारा बाबत् किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई प्राथमिक र्णय दिनांक 08.02.2018 द्वारा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम लब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक एल आर 2018/13 दिनांक 08.05.2018 द्वारा बंटवारा कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। मुताबिक प्राथमिक निर्णय केवल वादी को ही हिस्सा 1/3 का पृथक से खातेदार घोषित किया गया था क्योंकि प्रतिवादी सं0 1 चिरंजी व प्रतिवादी सं0 1/1 की फौत होने से उनके विरासत के नामान्तरकरण नही खुलने से इनके वारिसान के नाम जमाबंदी मे दर्ज नही हुए थे, अब चूंकि इनका विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर जमाबंदी मे भी अंकन कर देया गया है और उसी अनुसार तहसीलदार सपोटरा ने बंटवारा स्कीम तैयार कर पेश की है। अतः ाथमिक निर्णय के अनुसार वादी को हिस्सा 1/3 के अतिरिक्त अब प्रतिवादी सं0 9 को हिस्सा /3 एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 को हिस्सा 1/3 का भी पृथक पृथक खातेदार घोषित किये जाते है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 9 भी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादी फाईनल डिकी किये जाने तु सहमत है। अतः दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिकी किया जाकर ग्राम जोड़ी हसील सपोटरा की विवादित आराजीयात का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

Scanned by CamScanner

1. कैलाश पुत्र फैलू जाति बैरवा हिस्सा 1/3 राहिन पी.एन.बी. शाखा सपोटरा सा0देह के हिस्से मे ख0नं0 189 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 191 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं0 195 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं0 190 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा रहेगा।
2. किलाण पुत्र फैलू जाति बैरवा हिस्सा 1/3 राहिन पी.एन.बी. शाखा सपोटरा सा0 देह के हिस्से मे खसरा नं0 161 रकबा 03 बिस्वा, ख0नं0 189/1 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 191/1 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं0 195/1 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं0 190/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 5 का कुल रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा रहेगा।
3. आशीष पुत्र प्रहलाद ज्योति सपना पुत्री प्रहलाद नाबा0 संरक्षिका माता खुद कौशल्या पत्नि प्रहलाद कल्लो, मौसम, कविता, इमरती पुत्रीयान चिरंजी बादामी पत्नि चिरंजी रामजीलाल, रामकिशन, घनश्याम, जगदीश पि0 मंगल कमला, हुकमबाई, मिथलेश पुत्रीयान मंगल हि0 ब0 हि0 1/3 जाति बैरवा बिला रहन सा0 देह के हिस्से मे खसरा नं0 17/365 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं0 28/1 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 28/4 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 71 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 191/2 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं0 195/2 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 6 का कुल रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा रहेगा।
4. खसरा नं0 188 रकबा 02 बिस्वा गै0 मु0 चाह वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती मे रहेगा।

वंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिकी का जुज रहेगा। इसी अनुसार डिकी जारी हो।

पीठसीन अधिकारी(एसडीएम)
राजस्व लोक अदालत"न्याय आपके द्वार"
सपोटरा जिला करौली (राज0)

Scanned by CamScanner